कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

पत्रांक 648 /3 सी(व0भू0) दिनांक 25/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022) ।**

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्र सं0 –8बी0/यू0सी0पी/06/51/2022/एफ0सी0 दिनांक–11.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत हैः–

क– राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंन्सी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तो का पालन करना आवश्यक है–

क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	**प्रतिपूरक वनीकरणः–** **(क)**– वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.16 है० अवनत वन भूमि सिराड कक्ष सं. 04 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	**शर्त सं0 –3 प्रतिपूरक वनीकरण–** क– आपके प्रभाग से सम्बन्धित है।
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	ख– आपके प्रभाग से सम्बन्धित है।
	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0 एम0 एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस० एम० सी कार्य और डब्ल्यू० एल० एम० पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	ग– का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01. 08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt- 2) दिनांक 18.09. 2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.08 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**शर्त सं0–2 शुद्ध वर्तमान मूल्य** **5 (क)** के अनुपालन **में एन0पी0बी0 की धनराशि रु0–1551604.00** मात्र (पन्द्रह लाख इक्कावन हजार छः सौ चार रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है।

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	**शर्त सं0–3** के अनुपालन 189 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
4	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overass अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	**शर्त सं0–4** के अनुपालन में परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass/ overpass अन्य कार्यों का अनुपालन, यदि लागू हो, तो पालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
5	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	**शर्त सं0–5** के अनुपालन में वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	गाईड लाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के अध्याय ।। के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	**शर्त सं0–6** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	**शर्त सं0–7** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त सं0–8** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे।	**शर्त सं0–9** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
10	10– अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन के रूप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	**शर्त सं0 –1** के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	**2 शर्त सं0 –2** के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धरित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त सं0 –4** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि–969388.00 (नौ लाख उनसत्तर हजार तीन सौ अट्ठासी रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष शर्तें आपके विभाग से सम्बन्धित हैं।
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉं प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	उक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ बिनसर अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 12 किमी0 है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीव बोर्ड/ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्तें, जहॉं भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा।	**शर्त सं0–5** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.40 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	**शर्त सं0–6** उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सम्बन्धित है।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	**शर्त सं0–7** उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सम्बन्धित है।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	**शर्त सं0–8** के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	**शर्त सं0–9** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।
10	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	**शर्त सं0–11** के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी भी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

12	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forword/ Backward अंकित हो।	**शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	**शर्त संख्या 13–** प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और Central Verge पर Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्यूलेटिंग साइनेज बनाया जायगा।	**शर्त सं0–14** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्यूलेटिंग साइनेज बनाये जाने हेतु सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	**शर्त सं0–15** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	**शर्त सं0–16** के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	**शर्त सं0–17** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**शर्त सं0–18** के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigatoin/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency Which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required required to be made at the site and not based on the indivative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	**शर्त सं0–19 के** अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this projects. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.	**शर्त सं0–20 के** अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

21	The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flore and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the chief Wildlife Warden of the State, if applicable.	**शर्त सं0–21 के** अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.	**शर्त सं0–22 के** अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्थारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त सं0–23** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–25 के** अनुपालन मेंयदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों विनियमों दिशानिर्देशों , माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	**शर्त सं0–25 के** अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों विनियमों दिशानिर्देशों , माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन किये जाने हेतु सहमत है।
26	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाई की जायेगी।	**शर्त सं0–26 के** अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

(इं0 विमोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

प्रति० वनभूमि सहा० नि० लो०नि०वि० अल्मोड़ा।

24/02/2025

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2)

कार्य का नाम:– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि–969388.00 (नौ लाख उनसत्तर हजार तीन सौ अट्ठासी रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।

अमीन
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ बिनसर अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 12 किमी0 है।

अमीन	**कनिष्ठ अभियन्ता**	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड,	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्य जीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्तें, यदि लागू हो, तो प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन किये जाने हेतु सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सम्बन्धित है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 7)

कार्य का नाम:– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सम्बन्धित है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 8)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करने हेतु विभाग सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 9)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 10)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 11)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी भी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 12)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा तथा Forword/ Backward अंकित किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 13)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और Central Verge पर Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 14)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्यूलेटिंग साइनेज बनाये जाने हेतु सहमत है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 15)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 16)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 17)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 18)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 19)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं0 19 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

Mohan Singh			
अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 20)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं0 20 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	**कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 21)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं0 21 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 22)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं0 22 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 23)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 24)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 25)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों विनियमों दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन	**कनिष्ठ अभियन्ता**	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड,	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 26)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.60 है0) वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं0 26 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सत्यमेव जयते

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 **बी/यू०सी०पी०**/06/51/2022/**एफ०सी०** **दिनांकः** As per E-sign

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति

विषयः-जनपद - **अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अंतर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु** 1.08 **हे**0 **(पूर्व में** 1.62 **है**0**) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/151552/2022)**।**

सन्दर्भः (i) **कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक** 1823/12-1: **देहरादूनः दिनांक** 10.01.2025.

(ii) **क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्र दिनांक** 04.09.2023 **एवं** Addendum **दिनांक** 06.09.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल/ अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 02.07.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-**2** के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र दिनांक **04.09.2023** द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसके उपरांत राज्य शासन के पत्र दिनांक **03.07.2024** द्वारा किए गए अनुरोध पर वृक्षों की संख्या में आए बदलाव के संशोधन हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक **06.09.2024** को Addendum जारी किया गया। राज्य सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक **10.01.2025** द्वारा यह अनुरोध किया गया कि **DFO, Almora** द्वारा वृक्षों के छापन के समय यह ज्ञात हुआ कि **online** प्रस्तावित **KML File** का संरेखण एवं मूल प्रस्तावित सड़क का संरेखण पूर्णतः भिन्न है। अतः प्रस्तावित मार्ग की सही KML फ़ाइल एवं प्रस्ताव पर

ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद- अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अंतर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु **1.08 हे0 (पूर्व में 1.62 है0)** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की **संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

(क.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1- **प्रतिपूरक वनीकरणः**

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.16 हे0 अवनत वन भूमि सिराड़ कक्ष सं. 04 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**

(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0 एम 0 एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस 0 एम 0 सी कार्य और डब्ल्यू0 एल 0 एम 0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

2- **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **1.08 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो

अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

3- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

4- प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।

5- वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।

6- गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

7- राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।

8- एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9- परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे।

10- अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

(ख.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण- II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

1- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4- राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।

5- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्यजीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

6- **वैकल्पिक / प्रतिपूरक व्रक्षारोपण क्षेत्र मे पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

7- **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

8- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

9- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

10- वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

11- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

12- संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

13- प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।

14- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।

15- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16- वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

18- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

19- The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.

20- The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.

21- The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.

22- The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.

23- प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

24- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त

एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

25- प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।

26- उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 11-02-2025 10:30:33

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0 सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तृतीय तल (फ्रंट पॉर्शन), सूप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग (लाइन-3), नई दिल्ली-110001 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
3. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग।
5. आदेश पत्रावली।

FP/UK/ROAD/151552/2022 (../viewreport.aspx?id=FP/UK/ROAD/151552/2022) o Manan to Chandrapur Link lotor road	ROAD1515522022852	61151552852	04 Sep 2023	CA: 969388/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1551604/-, no charges: 0/- NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- Total: 2520992/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 30 Sep 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 03 Feb 2024 Transaction Date: 03 Feb 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/250920231529528746_FPUKROAD1515522022_User_Fund_Demanded_9P428.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1515522022852)
/UK/ROAD/8837/2014 (viewreport.aspx?=FP/UK/ROAD/8837/2014) heed mohan singh motor d	ROAD88372014795	6188370795	08 Oct 2015	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1052448/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1052448/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 04 Mar 2023 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On: 23 Mar 2023 Transaction Date: 30 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/020320231250564427_FPUKROAD88372014_User_Fund_Demanded_3Y532.pdf)
K/ROAD/120059/2021 iewreport.aspx? FP/UK/ROAD/120059/2021) irai to Auliya gaon, hampur and Supakote r Road	ROAD1200592021881	61120059881	10 Jun 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 11826/-, Tree Plantation: 1504030/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1515856/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 04 Oct 2021 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On: 12 Nov 2021 Transaction Date: 20 Nov 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/041020211122401916_FPUKROAD1200592021_User_Fund_Demanded_20944.p

प्रति हस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा